स्पेशल एस.सी./एस.टी. 194/2018
सहरसा सदर थाना कांड संख्या–417/2016

Sri Santosh Kumar
DASJ-I-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa

जिला– सहरसा
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सहरसा
–सह–
विशेष न्यायाधीश अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि.
सहरसा
स्पेशल एस.सी./एस.टी. 194/2018
सहरसा सदर थाना कांड संख्या–417/2016

1. राज्य (द्वारा) पूजा देवी पिता अशोक पासवान
साकिन–बलुआहा, पो0–दुधैला, थाना–सोनवर्षा कचहरी, जिला–सहरसा।
.....अभियोजन पक्ष

बनाम

1. घुटर यादव उम्र 40 वर्ष पिता स्व0 जयकृष्ण यादव
साकिन बलुआहा, पो0–दुधैला, थाना–सोनवर्षा कचहरी, जिला–सहरसा।
.....अभियुक्तगण

वाद से संबंधित तिथियों का विवरणः–

1.	घटना की तिथि	13.05.2016	
2.	प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि	17.05.2016	अंदर धारा 457, 354बी, 384 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(xi), एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
3.	आरोप पत्र सं. एवं दाखिल करने की तिथि	15/2016, 20.11.2021	अंदर धारा 457, 354बी, 384 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(x)(xi)एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
4.	संज्ञान लेने की तिथि	15.09.2021	अंदर धारा 457, 354बी, 384 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(x)(xi) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
5.	आरोप गठन की तिथि	15.03.2022	अंदर धारा 457, 354बी, 384 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(x)(xi) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
6.	अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	20.09.2024	
7.	अभियोजन साक्ष्य बंद होने की तिथि	09.06.2026	
8.	धारा–313 द0प्र0स0बयान तिथि	22.06.2026	
9.	सफाई साक्ष्य प्रारंभ की तिथि		
10.	सफाई साक्ष्य बंद होने की तिथि		
11.	बहस प्रारंभ होने की तिथि	22.06.2026	
12.	बहस बंद करने की तिथि	22.06.2026	
13.	निर्णय की तिथि	22.06.2026	

स्पेशल एस.सी./एस.टी. 194/2018
सहरसा सदर थाना कांड संख्या–417/2016

Sri Santosh Kumar
DASJ-I-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa

अभियोजन की ओर से :– श्री अमरेंद्र कुमार
विद्वान विशेष लोक अभियोजक

बचाव पक्ष की ओर से :– श्री उमेश प्रसाद यादव, विद्वान अधिवक्ता

सहरसा, दिनांक–22.06.2026

उपस्थितः– श्री संतोष कुमार,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा।

निर्णय

1. इस आपराधिक वाद के अभियुक्त 1.घुटर यादव के विरूद्ध धारा– 457, 354बी, 384 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(x)(xi) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों के विनिश्चयन हेतु विचारण किया गया है।

2. अभियोजन कहानी का सारांश यह है कि '' मैं पुजा देवी पति अशोक पासवान, साकिन–बलुआहा, पो0–दुधैला, थाना–सोनवर्षा कचहरी, जिला–सहरसा की निवासी हूँ। दिनांक 13.05.2016 को को रात करीब 10 बजे घुटर यादव पिता स्व0 जयकृष्ण यादव ग्राम बलूआहा ने शौच के बहाने मेरे घर में पीछे से बॉस–टाट के सहारे घर में घुसा। हमें अकेली देखकर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा और मेरे शरीर से कपड़ा खिंचने लगा जब मैंने हल्ला किया तो मेरे पति दरवाजे पर सोया हुआ था हल्ला सुनकर दौड़कर आए और उसको हल्ला करते हुए पिछा किया तो रास्ते में करीब घर से 20–25 कदम की दूरी पर मेरे पति अशोक पासवान और घुटर यादव दोनों में हाथा–पाई होने लगा और घुटर यादव ने धमकी देने लगा और कहने लगा यदि तुमने हल्ला किया तो पुरे परिवार को घर साहित जला देंगे और कहने लगा मेरा नाम घुटर यादव है, तुम दुसाध हो दुसाध के तरह राहे नहीं तो तुम सब दुसाध को चुन चुन कर गोली मार देंगे और कमर से चाकू निकालकर दिखाने लगा और चाकू से वार करने का प्रयास किया। तब मेरे पति चाकू के भय से पीछा करना छोड़ दिया और घुटर यादव भागने में सफल हुआ। तब गॉव के सारे आदमी घ ाटनास्थल पर आए और साक्ष्य के रूप में घुटर यादव का चप्पल और लोटा मिला। सभी ग्रामीणों के बीच से घुटर यादव की पत्नी ने कही यह लोटा चप्पल मेरे पति का है। अपने दबंगता के कारण घुटर यादव के द्वारा पूर्व में भी हरिजन समुदाय के उपवर

अत्याचार करते आ रहा है जो कि इसके विरूद्ध थाना में कई केस भी दर्ज है। ऐसा संदेह है कि किसी राजनीतिक संरक्षण के कारण बच निकलता है। पंचायत आम चुनाव 2016 के पूर्व भी मुझे और पति को घुटर यादव प्रचार–प्रसार के दौरान दबाब देकर वोट डालने को कह रहा था। मुझे संदेह है कि इसी रंजिश से हरिजन एवं गरीब मजदूर समझकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया।'' उपरोक्त आशय के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया।

3. उपरोक्त आशय का सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर सहरसा सदर थाना कांड संख्या– 417/2016 अंतर्गत धारा–457, 354बी, 384 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(xi)एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम के अंतर्गत नामजद अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाकर अभियुक्तगण 1. घुटर यादव के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–15/2016 दिनांक–31.07.2016 समर्पित किया गया।

4. आरोप पत्र प्राप्त होने पर उपरोक्त अभियुक्त क्रमशः 1. घुटर यादव के विरूद्ध दिनांक–15.09.2021 धारा– 457, 354बी, 384 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(x)(xi) अनु.जाति जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेते हुए वाद दौरा सुपूर्दगी किया गया।

5. दिनांक–15.03.2022 को उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा– 457, 354बी, 384 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(x)(xi) अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि. के अंतर्गत आरोप का गठन होने के पश्चात अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य ग्रहण किया गया है। साक्ष्य प्रकरण बंद होने के पश्चात दिनांक–22.06.2026 को अभियुक्तगण का बयान धारा–313 द.प्र.स.के अंतर्गत लिया गया। अभियुक्त का बचाव है कि इनको इस मुकदमा में झूठा फंसाया गया है तथा वे निर्दोष हैं।

6. अब इस वाद में मुख्य विनिश्चयन का प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे हैं ?

तथा–कथित आरोप को साबित करने के लिये अभियोजन की ओर से कुल मिलाकर मात्र दो साक्षियों को परीक्षित कराया गया, वे हैं अभियोजन साक्षी संख्या–1–सह–सूचिका, पूजा देवी एवं अभियोजन साक्षी संख्या–2 चन्द्रकिशोर पासवान।

अभियोजन साक्षी संख्या–1–सह–सूचिका, पूजा देवी। इन्होंने न्यायालय में सशपथ कथन किया कि वर्ष 2016 में रात्रि की 10:00 बजे की बात है। मैं सोई हुई थी। घूटर यादव घर घूसा और मेरा कपड़ा खींचा। जिससे मेरी नींद टूट गई। मैं हल्ला की तो मेरी पति दौड़कर आये। जिस कारण वह भाग गया। उसके बाद मेरा पति उसका पीछा किये लेकिन घूटर यादव भाग गया। उसके बाद मैं थाना गयी और इस संबंध में आवेदन दी। उस पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे पहचानती हूँ। साक्षी के पहचान पर हस्ताक्षर को प्रदर्श ih0–1/पी0डब्लू0–1 अंकित किया जाता है। बचाव पक्ष के द्वारा इसका प्रतिपरीक्षण किया गया। प्रतिपरीक्षण में सूचिका ने स्पष्ट कथन किया कि मेरे गॉव में घूटर नाम का कितना व्यक्ति है मैं नहीं बता सकती हूँ। रात अंधेरी थी। इस कारण मैं नहीं पहचान सकी कि मेरे साथ किसने घटना किया और न यह बता सकती हूँ कि मेरे साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग किसने किया। इन्होंने यह भी कथन किया कि मुकदमा में मेल हो जाने के कारण अब अन्य गवाह आना नहीं चाहते हैं।

अभियोजन साक्षी संख्या–2 चंद्रकिशोर पासवान ने न्यायालय में स्पष्ट कथन किया कि मैं घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था।

अभिलेख पर उपलब्ध सामगी के आलोक में उभयपक्षों का बहस सुना और अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सूचिका सहित किसी भी साक्षी ने अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये किसी भी आरोप को साबित करने के लिये कोई विधिक साक्ष्य नहीं दिया है। अतः अभिलेख पर विधिक साक्ष्य नहीं रहने के कारण इस वाद मे आरोपित एक मात्र अभियुक्त घूटर यादव को उनके विरूद्ध लगाये सभी आरोपों से दोषमुक्त करते हुए उन्हें तथा उनके जमानतदारों को बंध पत्रों के दायित्वों से मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा
22.06.2026

लेखापित

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा
22.06.2026

स्पेशल एस.सी./एस.टी. 194/2018
सहरसा सदर थाना कांड संख्या–417/2016

Sri Santosh Kumar
DASJ-I-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी, अन्य साक्षी)
p.w.-1	पूजा देवी	सूचक
p.w.-2	चन्द्रकिशोर पासवान	अन्य साक्षी

ख–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी, अन्य साक्षी)

ग–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्शी साक्षी,पुलिस साक्षी,विषेषज्ञ साज्ञी साक्षी,मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी,अन्य साक्षी)

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची

क–अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	P-1/PW-1	अभियोजन साक्षी संख्या–1–सह–सूचिका, पूजा देवी ने थाना में दिये गये आवेदन पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की जिसे प्रदर्श किया गया।

ख–बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

ग–न्यायालय प्रदर्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

घ–वस्तु प्रदर्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–
विशेष न्यायाधीश, सहरसा
22.06.2026